बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों और संरकार के हेतु "क्या करें" व "क्या न करें"

क्या करें

1. चल रहे कार्यक्रम जारी रह सकेंगे।
2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन से स्पष्टीकरण / अनुमोदन प्राप्त करें।
3. बाढ़ , सूखा, महामारी और अन्य प्रकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पूनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाएं और जारी रखे जायें।
4. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान आादि निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होना चाहिए।
5. विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी अवास किसी भी अभ्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जायगें।
6 अन्य प्रत्याशियो अभ्यार्थियो की आलोचना उनकी नीतियाँ, कार्यकम, पुराने रिर्कोड और कार्य मात्रा से संबंधित होनी चाहिए।
7 प्रत्येक व्यक्ति के शन्तिपूर्ण और निर्विघन पारिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
8 प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।
9 यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पुरी तौर पर पालन किया जया। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।
10 बैठक की गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त किये जाय।
11 किसी भी जुलूस के शुरू होने के समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और कम समय और स्थान और जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके सक्षम पुलिस पदाधिकारी से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये।
12 जिन मोंहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहाँ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।
13 जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।
14 शाँतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।

15 कार्यकर्त्ताओं को अपने बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये।

16 मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधो का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।

17 राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति मतदान केन्द्र पर मतदाता के दौरान प्रवेश कर सकते है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्च पदासीन हो, इस मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिए जा सकेगा।

18 निर्वाचन के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षको / जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (स0स0) / निर्वाचन पदाधिकारी / जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट / राज्य निर्वाचन प्राधिकार की जानकारी में लायी जाय।

19 निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश / निदेश / दिशा–निर्देश का अनुपालन निर्वाचन पदाधिकारी / जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) द्वारा किया जायेगा।

ह0 / –

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

ज्ञापांक : 1941 / संघ / 2022 दिनांक : 15/11/2022
प्रतिलिपि : सभी अभ्यर्थी / मतदाताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

Office of The Returning Officer

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

क्या ना करें

1. बोर्ड/ समिति क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक बैठकें करना/जुलूस निकालना।
2 सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यो में नहीं किया जायगा।
3 बोर्ड/ समिति क्षेत्र में बोर्ड/ समिति के माध्यम से वितरित/कार्यान्वित होने वाले योजनाओ का वचन देना, आधारशिला रखना तथा किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा आदि न करे।
4 कोई भी मंत्री/ सांसद/ विधायक/पार्षद आदि किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो।
5 वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।
6 मतदातों के जातीयों/ साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।
7 ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभदों का बढ़ावा मिले या आपसे में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
8 दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्त्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।
9 असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकर्त्ताओं पर टिका टिप्पणी न कि जाय।
10 मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्वारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर,संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जायें।
11 कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियाँ यथा घुसखोड़ी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास, प्रतिरूपेण, मतदाता केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाँए करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।
12 व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यो के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का उपाय करें।
13 किसी भी नीजी अथवा सार्वजनिक परिसर पर झण्डा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने की कारवाई कर उसे विरूपित न करें।
14 दूसरे अभ्यर्थियो द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।
15 उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभाये आयोजित की जा रही हों, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकालें।
16 जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

17 बोर्ड / समिति निर्वाचन मे लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति नही दी जायगी।

18 निर्वाचन सभा के दौरान शराब नहीं बांटी जानी चाहिये।

19 अभ्यर्थी प्राधिकार द्वारा विहित सीमा से अधिक व्यय न करें।

20 निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पन्द्रह दिनों के अंदर व्यय का लेखा–जोखा निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करना नहीं भूलें।

21 कमजोर वर्ग के अभ्यर्थीयों को नामंकन देने से रोकने, अभित्रसित करने, बल प्रयोग करने अथवा अभ्यर्थी वापस लेने हेतु रिश्वत आदि देने की चेष्टा नहीं करें।

टिप्पणी :– उपर्युक्त सूची मात्र उदाहारणात्मक है, विस्तृत तथा अंतिम नहीं। यह उपर्युक्त विषय पर निर्गत किसी अन्य विस्तृत आदेशों / निदेशों / अनुदेशों को प्रतिस्थापित करने के निमित्त नहीं है।

ह0 / –

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

ज्ञापांक : 19409 / संघ / 2022 दिनांक : 15/11/2022
प्रतिलिपि : सभी अभ्यर्थी / मतदाताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

Office of The Returning Officer

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

\\PC-33\Drive-D\File-A\A-117\2022\2022\Election code of Conduct